



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - सागर
जिला - सागर, मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 42376/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र

दिनांक : 02/09/2015

प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/427/0104/55683/2014

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी विद्या पुत्री श्री कृपामुरारी (पिता) एवं श्रीमती फूलरानी (माता) नगर सागर (M Corp.), तहसील सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) अहिरवार जाति की सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 14 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

कुमारी विद्या पुत्री श्री कृपामुरारी सामान्यतः (Ordinarily) नगर सागर (M Corp.), तहसील सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) की निवासी हैं।

स्थान : सागर

दिनांक : 02/09/2015

आधार नंबर :

समग्र नं :



तहसील - सागर

संतोष चंदेल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्र. RS/427/0104/55683/2014 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

विद्या

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार/टप्पा/तहसील सागर, जिला-सागर

क्र. /बी-21/वर्ष 2011-12

दिनांक 1/12/11

स्थानीय निवास प्रमाण पत्रप्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुद्ध कृपामुरारीपिता/पति कुजी लाल निवासी श्रीलक्ष्मी बाई

तहसील सागर, जिला-सागर (म.प्र.)

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक 1 से 3 की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2*. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3/22/2010/3/एक दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी * /अवयस्क बच्चे * जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं -

(1) आवेदक की पत्नी नाम श्रीमति पूलबाई आयु 35 वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री

1. विद्या आयु 13 वर्ष
2. शत्रु आयु 17 वर्ष
3. शिव कन्नी आयु 15 वर्ष
4. लक्ष्मी आयु 14 वर्ष

टीप - यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा। (आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपत्र-पत्र के आधार पर जारी)



तहसीलदार
ह. तहसीलदार/सागर तहसीलदार
तहसील सागर, जिला-सागर

(* लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें।)

फार्म विक्रेता - प्रज्ञा फोटो कार्पी, तहसीली प्रांगण, सागर 272061

विद्या